भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2824 का उत्तर

मैलानी-नानपारा रेल लाइन

2824. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैलानी-नानपारा रेल खंड परियोजना, जो इस पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, वन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण कई वर्षों से लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से कोई समयबद्ध समाधान खोजने या वैकल्पिक मार्ग को मंजूरी देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ध्यान में रखते हुए कि तराई क्षेत्र होने के कारण लखीमपुर और पलिया क्षेत्र में रेलवे पटरियां मानसून के दौरान मिट्टी के धंसने (भू-धंसाव) के प्रति संवेदनशील हैं, क्या रेलवे का उक्त संवेदनशील रेल खंड में रेलवे पटरियों की व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए कोई विशेष निधि प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): मैलानी और नानपारा पहले से ही मौजूदा मीटर आमान (एमजी) रेल लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस मीटर आमान मार्ग का प्रमुख हिस्सा (लगभग 128 किलोमीटर) वन्यजीव/वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, इसलिए इस खंड का आमान परिवर्तन कार्य शुरू नहीं

किया गया है। बहरहाल, एक निर्बाध बड़ी आमान संपर्कता स्थापित करने के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं राय भोज - नानापारा आमान परिवर्तन (13 किलोमीटर) से बचते हुए मैलानी-भीरा खेड़ी आमान परिवर्तन (16 किलोमीटर), भीरा खीड़ी-राय भोज नई लाइन (120 किलोमीटर) के लिए सर्वेक्षण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृत किया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के पश्चात, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों, वन अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदनों जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि, परियोजनाओं को स्वीकृति देना एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा विभिन्न हितधारकों द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन पर निर्भर करती है।

भारतीय रेल में रेलपथ और पुलों के निरीक्षण और अनुरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। रेलवे में रेलपथों और पुलों के निरीक्षण और अनुरक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है, जैसाकि अनुरक्षण संहिता में यथा निर्धारित है।

मैलानी-नानपारा मीटर आमान खंड में रेलपथों का भी निर्धारित उपबंधों के अनुसार निरीक्षण और अनुरक्षण किया जाता है और यह अनुमत गति पर गाड़ी चालन के लिए सुरक्षित है। मैलानी-नानपारा में रेलपथ संरचना को उन्नत करने के लिए लगभग 109 किलोमीटर के पूर्ण रेलपथ नवीकरण को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, अतिरिक्त जलमार्ग प्रदान करने और मौजूदा पुलों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में मैलानी-नानपारा खंड में एक आर्च ब्रिज के पुनर्निर्माण, 6 नए पुलों के प्रावधान और पुल सं. 97 के गाइड बंड को मजबूत करने के लिए 8.3 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
